न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 87/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
एस.भूपेन्द्र पुत्र शेषाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी—बीरावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री अ"ोक कुमार पटेल अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कस्बा, बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है। प्रार्थी का घर का नाम भूण्डाराम है जबकि प्रार्थी का आयकर विभाग का कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स तथा वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र व प्रार्थी का आधार कार्ड इत्यादि में एस भूपेन्द्र राठौड दर्ज है। प्रार्थी एस.भूपेन्द्र राठौड उर्फ भूण्डाराम दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। एस. भूपेन्द्र राठौड उर्फ भूण्डाराम दोनों नाम प्रार्थी के ही है। तथा दोंनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी की कस्बा बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 4123/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1730/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4074/3 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4098 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4113 रकबा 0.1133 हैक्टेयर प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की है। जिसमें प्रार्थी का नाम भूण्डाराम पुत्र शेषाराम लिखा हुआ है। जिसके स्थान पर प्रार्थी का आयकर विभाग का कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स तथा वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र व प्राथी का आधार कार्ड रेकर्ड के अनुसार अपना नाम एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी कस्बा बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा में स्थित अपनी स्वयं की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में अपना वास्तविक नाम एस.भूपेन्द्र राठौड दर्ज करवाना चाहता है। चूकि प्राथी की खातेदारी की भूमि में भूण्डाराम के स्थान पर प्रार्थी के घर का नाम भूण्डाराम दर्ज होने का पता अभी हाल ही लोन के लिए जमाबन्दी नकले लेने पर पहली बार चला। जिसके अभाव में प्रार्थी को सरकारी योजनाओं से भी वंचित होना पड रहा है। तथा प्रार्थी संबंधित बैंक से लोन भी नहीं ले सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र पे"ा कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम उपरवर्णित खातेदारी की भूमि में भूण्डाराम के स्थान पर प्रार्थी के दस्तावेजात के आधार पर एस. भूपेन्द्र राठौड पुत्र श्री शेषाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी बिलाडा दर्ज किया जाने का आदे"ा फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर [illegible] गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन [illegible] तामील [illegible] पे"ा हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पे"ा किया जिस[illegible] है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 4 की चाल् जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 942, 943 [illegible] ख. न. 4123/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्र[illegible], ख.न. 1704 रकबा [illegible]47 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, ख.न. 1730/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर चाही अलीफ, ख.न. 4074/3 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, ख.न. 4098 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, ख.न. 4113 रकबा 0.1133 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम वर्तमान जमाबन्दी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested

भूण्डाराम पुत्र शेषाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया सीरवी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त प्रार्थी खातेदार भूण्डाराम का नाम पूर्व में जरिये नामा.1178 दिनांक 26.03. 2010 के द्वारा शेषाराम पुत्र मंगाराम के फोत होने से उतराधिकार के रूप में दर्ज हुए है। जो वर्तमान जमाबन्दी में यथावत दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज आयकर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में नाम एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम सीरवी दर्ज है। इसी अनुसार प्रार्थी अपना राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि करवाना चाहता है।

अतः जवाब प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का नाम उपरवर्णित खातेदारी की भूमि में भूण्डाराम के स्थान पर एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम जाति खारडिया सीरवी किये जाने की ईस्तदुआ प्रार्थी द्वारा की गई है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव"यकता नहीं रही। इस कारण वादी का शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे"ा किया। जिसका प्रतिवादी ने खंडन नहीं किया है। प्रतिवादी ने वादी का नाम भूण्डाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम किये जाने की सहमति प्रदान की है। तथा वार्ड 18 पार्षद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम व भूण्डाराम पुत्र शेषाराम एक ही व्यक्ति का होना बताया गया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"ा 1 आयकर विभाग कार्ड एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम, प्रद"ा 2 आधार कार्ड एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम, प्रद"ा 3 ड्राईविंग लाईसेंस एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम, प्रद"ा 4 वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र श्रीराम आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम दर्ज किया हुआ है, राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी भूण्डाराम पुत्र शेषाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम कस्बा बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 4123/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1730/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4074/3 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4098 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4113 रकबा 0.1133 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूण्डाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक [illegible] मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी बनाम प्रतिवादी

एस.भूपेन्द्र पुत्र शेषाराम
जाति खारडिया सीरवी
निवासी–बीरावास, तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 87/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अ"ाोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादो सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम कस्बा बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 4123/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1730/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4074/3 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4098 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4113 रकबा 0.1133 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूण्डाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर एस.भूपेन्द्र राठौड पुत्र शेषाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे क मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अजी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested